प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 23.04.2025

थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा नाबालिग लड़के को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया ।

दिनांक 11.07.2024 को थाना खोडा पर वादी श्री विनोद कुमार सिंह पुत्र गौरीशंकर निवासी शिव पार्क खोड़ा कॉलोनी द्वारा एक तहरीर दी । जिसके आधार पर वादी के नाबालिग पुत्र के गुमशुदा हो जाना के संबंध में थाना खोडा पर तत्काल धारा 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । जिसके क्रम में दिनांक 21.04.2025 को थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस की सहायता से गुमशुदा नाबालिग को सेक्टर 07 फरीदाबाद से सकुशल बरामद किया गया । अधिक जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त बरामद नाबालिग की पढ़ाई करने में रुचि नहीं थी और वह गेम प्रोग्रामिंग डेवलप करके अधिक पैसे कमाना चाहता था लेकिन उसके पिता उसकी इच्छा के विरुद्ध कोचिंग में एडमिशन कराना चाहते थे । जिससे वह गेमिंग सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर पाता इसीलिए वह अपने घर में रखे 03 लाख 16 हजार रूपयों को बिना बताए फरीदाबाद लेकर चला गया था । जहां वह किराए पर रूम लेकर रहने लगा । करीब 1.5 लाख रुपयों से उसने 01 कंप्यूटर सिस्टम व 01 मोबाइल फोन खरीदा तथा अन्य रुपए उसने खाने-पीने तथा रहने में खर्च कर दिए । वह अपने घर पर न आने की बजह से कॉल नहीं कर रहा था । बरामद नाबालिग लड़के को सकुशल उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है । अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी करने वाली टीमः-

थाना खोडा पुलिस टीम ।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा अवैध चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

आज दिनांक 23.04.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अवैध चाकू के साथ अभियुक्त मौहम्मद शाद पुत्र शकील अहमद निवासी गली न0- 4 अम्बेडकर विहार निकट शिव विहार दिल्ली को धन्नूराम कट थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर धारा 04/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि यह चाकू मैंने राह चलते एक व्यक्ति से सस्ते दामों में खरीदा था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मौहम्मद शाद पुत्र शकील अहमद निवासी गली न0-4 अम्बेडकर विहार निकट शिव विहार दिल्ली, उम्र करीब 18 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण

01 अवैध चाकू बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर आयुध अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा 24 घण्टे के अन्दर हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 23.04.2025 को थाना पुलिस को कन्ट्रोल रुम व थाना कार्यालय से ईवेंट प्राप्त हुआ जिसमें कॉलर द्वारा बताया गया कि एक अज्ञात महिला घायल अवस्था में सपना चौराहा के पास पडी है। थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये ग्राम मण्डोला आवास विकास योजना सपना चौराहा के पास पहुंची तो ज्ञात हुआ कि झांडियों के किनारे एक महिला पड़ी हुई है जो दर्द से कराह रही है। जो गम्भीर रूप से लहूलुहान अवस्था में पड़ी है। घायल अवस्था में पडी महिला को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया तथा उसका नाम पता पूछा गया तो घायल महिला ने कराहते हुए धीमी आवाज में अपना नाम महबूबा बेगम पत्नी मोहम्मद आजाद निवासी ग्राम गोरखा पटेसरी वार्ड न0 11 थाना ठाकुरगंज जिला किशनगंज बिहार उम्र 25 वर्ष बताया।

तत्पश्चात पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास की घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुये अभियुक्त मोहम्मद आजाद पुत्र मोहम्मद तासीर आलम निवासी ग्राम गोरखा पटेसरी वार्ड न0 11 थाना ठाकुरगंज जिला किशनगंज बिहार द्वारा अपनी पत्नी महबूबा बेगम को जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से घायल कर जंगल में छोडकर भाग जाने के सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर अभियुक्त मोहम्मद आजाद पुत्र मोहम्मद तासीर आलम के विरूद्ध धारा 109 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज व सर्विलांस व मैनुअल इन्पुट के आधार पर उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त मोहम्मद आजाद पुत्र मोहम्मद तासीर आलम निवासी ग्राम गोरखा पटेसरी वार्ड न0 11 थाना ठाकुरगंज जिला किशनगंज, बिहार को जमुना पुस्ता ठोकर नं0 08 ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मेरी शादी वर्ष 2012 में साईमा खातून से हुयी थी। जिससे मेरे 04 बच्चे हैं। मेरी पत्नी साईमा खातून तीन बहने हैं। साईमा खातून से छोटी कुलशुम बेगम की शादी मेरे छोटे भाई नौशाद से हुयी थी। सबसे छोटी बहन महबूबा बेगम थी। जब से मेरी शादी हुयी थी तब से महबूबा बेगम को मैं पसंद करने लगा था और काफी कोशिश के बाद मैंने महबूबा बेगम को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। मैं महबूबा बेगम को बिना शादी किये ही अपने साथ रखना चाहता था। वर्ष 2022 मैं महबूबा बेगम को अपने ससुराल बिहार से भगाकर मुंबई ले गया था तथा एक किराये के मकान में रहने लगे था। मेरी पत्नी व ससुराल वालो ने मुझसे व महबूबा बेगम से रिश्ता खत्म कर दिया था। मेरा महबूबा बेगम से धीरे धीरे मन भरने लगा था अक्सर हम दोनों के बीच में झगड़ा रहने लगा था। महबूबा बेगम मुझ पर जोर डालती थी कि जब मुझे लेकर आया तो मुझसे सामाजिक रूप से निकाह कर ले। मैं सामाजिक रूप से निकाह नहीं करना चाहता था। तथा महबूबा बेगम को ऐसे ही अपने साथ रखना चाहता था। इसी बात को लेकर हम दोनों मे अक्सर झगड़ा होता रहता था। मेरे भाई नौशाद का दिल्ली से फोन आया था कि कुलशुम

बेगम को लड़की पैदा हुई है। घर में छोटा सा प्रोग्राम कर रहा हूँ। घर आ जाना। मेरे मन में विचार आया कि महबूबा बेगम को रास्ते से हटाने का यह अच्छा मौका है। दिल्ली में ले जाकर हत्या करके फेंक आऊंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा। दिनांक 06.04.2025 को मैं महबूबा बेगम को साथ लेकर मुंबई से दिल्ली अपने भाई नौशाद के यहां आया और हम कई दिन वहां रहे। वहां पर महबूबा बेगम को मारने का मौका नहीं मिला। तब हम दोनों दिल्ली से दिनांक 20.04.2025 को रात के समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गये। मैंने महबूबा बेगम को स्टेशन के बाहर बैठाया और उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेने चला गया। कोल्ड ड्रिंक में मैंने नशे की गोली मिला दी तथा ले जाकर महबूबा बेगम को पिला दी। कुछ देर बाद महबूबा बेगम बेहोश हो गयी। तब मैंने ऑटो वाले से कहा कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब है। मुझे मण्डोला गाजियाबाद छोड़ आओ। महबूबा बेगम को नशे की हालत में ऑटो में बैठाकर मण्डोला के पास आवास विकास सपना चौराहे के पास पहुँचा तो आस पास सूनसान झाड़ियाँ देखकर मैंने प्लान बनाया कि महबूबा बेगम को ठिकाने लगाने का यह सबसे सुरक्षित स्थान है। फिर ऑटो रूकवाकर महबूबा बेगम को उतारकर ऑटो वाले को वापस भेज दिया। मैंने महबूबा बेगम को रात में ही नशे की हालत में पकड़कर सड़क के किनारे झाड़ी की तरफ नीचे गिरा दिया तथा अपनी पेंट की जेब से चाकू निकालकर जान से मारने की नीयत से महबूबा बेगम को चाकू से गंभीर रूप से घायल कर दिया जब मुझे लगा कि वह मर गयी है तो मैं महबूबा को जंगल में छोड़कर दिल्ली भाग गया तथा चाकू को रास्ते में कहीं फेक दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

मोहम्मद आजाद पुत्र मोहम्मद तासीर आलम निवासी ग्राम गोरखा पटेसरी वार्ड न0 11 थाना ठाकुरगंज जिला किशनगंज, बिहार, उम्र करीब 38 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त घटना के संबंध में हत्या के प्रयास का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना निवाडी पुलिस द्वारा तार के बंडल चोरी करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 12 बंडल तार व घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 22.04.2025 को थाना निवाडी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि बुलेट मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति द्वारा दुकान के अन्दर प्लास्टिक के बोरे में रखे बिजली के तार लगभग (14) चौदह बन्डल को चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निवाडी पर धारा 305 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 23.04.2025 को थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त चोरी की घटना का अनावरण करते हुए घटना कारित वाले अभियुक्त निर्मल पुत्र दीपराम निवासी ग्राम जहांगीरपुर थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष को मोहम्मदपुर कट के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त राहुल के कब्जे से चोरी के 12 बंडल तार (आर0आर0 केबल) व घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल बरामद हुई। उपरोक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया कि मैने मौका पाकर यह तार के बण्डल अबुपूर गेट के पास दीनानाथ इन्टरप्राईजेज की दुकान से चोरी किये थे जिन्है मैं इसी बुलेट मोटरसाइकिल से ले गया था। आज मैं चोरी के तारों को बेचने की फिराक में निकला था कि पुलिस ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

निर्मल पुत्र दीपराम निवासी ग्राम जहांगीरपुर थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी के 12 बंडल तार (आर0आर0 केबल) व घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना निवाडी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना निवाडी पुलिस टीम।

थाना निवाडी पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल 32 बोर व 02 जिन्दा कारतूस बरामद।

दिनांक 14.04.2025 को थाना निवाडी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि बालाजी फार्म हाउस डबाना में उसके चचेरे भाई की पुत्री की शादी में रात्रि करीब 10 बजे एक काले रंग की फॉर्च्यूनर गाडी से फार्म हाउस में आये अभियुक्तगण 1. लोकेन्द्र 2. राहुल पुत्रगण अरविन्द निवासीगण डबाना थाना निवाडी गाजियाबाद 3. चर्चिल पुत्र राजवीर निवासी पतला थाना निवाडी व एक 01 अज्ञात व्यक्ति द्वारा जान से मारने की नीयत से वादी के भाई गजेन्द्र पर फायर करना व अभियुक्त राहुल ने पिस्टल से योगेश त्यागी के सिर पर वार करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निवाडी पर तत्काल धारा 352/351(3)/109(1)/110 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

दिनांक 22.04.2025 को थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त 1.चर्चिल पुत्र राजवीर निवासी ग्राम पतला थाना निवाडी गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष 2. राहुल कुमार उर्फ रिंकू पुत्र अरविन्द त्यागी निवासी ग्राम डबाना थाना निवाडी गाजियाबाद, उम्र करीब 34 वर्ष को थाना निवाडी क्षेत्र से धारा 352/351(3)/109(1)/110/3(5) बीएनएस व 3/25/27/28 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त राहुल के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल 32 बोर व 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुए। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त राहुल ने बताया कि दिनांक 14.04.2025 को रात्रि 10.30 बजे करीब मैंने अपने भाई लोकेन्द्र त्यागी व अपने साथी चर्चिल के साथ मिलकर बालाजी फार्म हाउस में डबाना ग्राम प्रधान की बेटी की शादी समारोह में योगेश व गजेन्द्र उर्फ मन्नु के साथ मारपीट व झगडा फसाद किया था और हम तीनों का आशय गजेन्द्र उर्फ मन्नु व योगेश को गोली मारने का था। राहुल ने बताया कि मैंने गजेन्द्र उर्फ मन्नू को जान से मारने की नीयत से गोली मारी थी। योगेश को भी मैं गोली मारने वाला था लेकिन मेरी पिस्टल कॉक नहीं हुई थी। पिस्टल कॉक न होने के

कारण मैंने योगेश के सिर पर इसी पिस्टल से वार किया था। घटना करने के बाद हम तीनों लोग अपनी फार्चूनर गाडी से मौके से भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. चर्चिल पुत्र राजवीर निवासी ग्राम पतला थाना निवाडी गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष।
2. राहुल कुमार उर्फ रिंकू पुत्र अरविन्द त्यागी निवासी ग्राम डबाना थाना निवाडी गाजियाबाद, उम्र करीब 34 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त चर्चिल उपरोक्त के विरुद्ध थाना निवाडी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है । व अभियुक्त राहुल पुत्र अरविन्द के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध मे थाना निवाडी 01 अभियोग , थाना मोदीनगर मे मारपीट के संबंध में तथा थाना फेस-2 जनपद गौतमबुद्धनगर में मारपीट व गाली गलौच के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है।

(कुल अभियोग – 03) । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना निवाडी पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा पीड़िता से छेड़छाड़ व हत्या का प्रयास करने के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 21.04.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर पीड़िता द्वारा लिखित सूचना दी गई कि पीड़िता जब कॉलेज से लौट रही थी तभी रास्ते में उनके पड़ोस में रहने वाले पूरन नाम के लड़के द्वारा पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की गयी पीड़िता द्वारा ऐसा करने से मना करने पर पीड़िता के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट की गयी तथा पीड़िता को घायल कर देना तथा पीड़िता का मोबाइल फोन भी तोड़ देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल धारा 74/126(2)/115(2)/324(2)/352/351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीड़िता का मेडिकल कराकर पीड़िता के धारा 180 बीएनएस के तहत बयान दर्ज किये गये एवं विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग में हत्या का प्रयास करने जैसा प्रकरण भी होना पाया गया जिसके आधार पर धारा 109 बीएनएस की वृद्धि की गयी तथा अभियोग मे वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 23.04.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त चन्द्रप्रकाश उर्फ पूरन पुत्र लक्खीराम निवासी शिव विहार बिहारीपुरा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक को जलप्लांट रोड चित्रावन सोसायटी के पास थाना क्षेत्र क्रॉसिंग रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त उपरोक्त द्वारा पूछताछ पर छेड़छाड़, गाली गलौच, मारपीट, धमकी व हमला करने की घटना को स्वीकार करते हुए बताया कि पीड़िता मेरे पड़ोस में एक गली छोड़कर रहती है पीड़िता और मेरे बीच दोस्ती थी तथा मैं पीड़िता को पसंद करता हूँ। पीड़िता मुझसे कई दिनों से बात नही कर रही थी और मुझसे नाराज चल रही थी जिसके लिए मैंने पीड़ित से बात की तो पीड़िता ने इन्कार कर दिया। इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने पीड़िता के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

चन्द्रप्रकाश उर्फ पूरन पुत्र लक्खीराम निवासी शिव विहार बिहारीपुरा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक जनपद गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर पीड़िता से छेड़छाड़/मारपीट के सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 21.04.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि 61 ए शान्ति नगर इन्द्रापुरी थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में एक मकान में पटाखों में आग लग गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। तथा प्रकरण में थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा मकान मालिक और अन्य के विरुद्ध तत्काल धारा 105/3(5)/125बी बीएनएस व 5/9बी विस्फोटक अधिनियम 1884 में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 23.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त धर्मवीर मलिक पुत्र मोतीराम निवासी 61-ए एक्सटेंशन शान्तिनगर इन्द्रापुरी थाना लोनी बॉर्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 65 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं चोरी छिपे अपने ही घर में अवैध पटाखे बनाता और बेचता था उस दिन मेरे मकान में अचानक आग लग गई जिसमें मेरे घर में रह रहे लोग आग में झुलस गये थे जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

धर्मवीर मलिक पुत्र मोतीराम नि0 61-ए एक्सटेंशन शान्तिनगर इन्द्रापुरी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र 65 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 20.04.2025 को थाना शालीमार गार्डन पर वादिया द्वारा अपनी नाबालिग बेटी के दुकान पर कहकर जाने व घर वापस न आने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी। तत्काल थाना शालीमार गार्डन पुलिस द्वारा धारा 137(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। अपहर्ता की तलाश हेतु टीमें गठित कर अपहर्ता को ईडीएम मॉल थाना कौशाम्बी से बरामद किया गया। पीडिता/अपहर्ता ने बताया कि अभियुक्त अरमान व समीर ने मेरे साथ गलत कृत्य किया है। धारा 137(2) बीएनएस में धारा 64,67 बीएनएस, 4(2) व 7/8 पॉक्सों एक्ट की बढ़ौत्तरी कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया मैनुअल इनपुट व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर दिनांक 22.04.2025 को अभियुक्त 1. अरमान पुत्र आरिफ खान पता ई 6/255 गली नं0- 4 सनलाइट कॉलोनी सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 19 वर्ष, 2-समीर पुत्र शाविर पता म0नं0 बी- 305 गली नं0 6 शहीद नगर मूल पता ग्राम इस्लामावाद भूड चौराहे के पास बुलन्दशहर उम्र करीब 20 वर्ष को लकडी मार्केट डीएलएफ शौचालय के पास थाना शालीमार गार्डन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त अरमान व समीर के विरुध्द आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त अरमान व समीर से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि दोनों अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 18.04.2025 को वादिया की नाबालिग पुत्री को स्कूटी से अभियुक्त समीर अपने घर ले गया था और वहा पर पीडिता के साथ गलत कृत्य किया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1-अरमान पुत्र आरिफ खान पता ई 6/255 गली नं0- 4 सनलाइट कॉलोनी सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 19 वर्ष।

2-समीर पुत्र शाविर पता म0न0 बी- 305 गली न0 6 शहीद नगर मूल पता ग्राम इस्लामावाद भूड चौराहे के पास बुलन्दशहर उम्र करीब 20 वर्ष।

अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त समीर तथा अरमान के विरुध्द थाना शालीमार गार्डन पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।